न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

[illegible]स. 130/2014
[illegible]सीएमएस : 2014/00286

1 शान्ति देवी पत्नी श्री बलराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
—:वादिया

बनाम

1 कैलाश चन्द्र पुत्र श्री धनराज जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
2. महावीर प्रसाद पुत्र श्री धनराज जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
3. इन्द्रसेन पुत्र श्री धनराज जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
4. आत्माराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
5. रामकुमार पुत्र श्री नरपतराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
6. राजेश कुमार पुत्र श्री नरपतराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
7. मोहितकुमार पुत्र श्री दयाराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
8. दयाराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट साकिन 82 आरबी तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

तारीख रजू 30.09.2014

परिस्थितअधिवक्तागण
1. श्री माणकचन्द्र अधि. वादिया।
2. श्री गुरप्रतापसिंह अधि. प्रति.सं. 1 ता 8

—: निर्णय :— दिनांक : 25.10.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है मुताबिक जमाबंदी संवत 2068—2071 वाके चक 82 आरबी के खाता संख्या 50 के पत्थर नं. 241/277 के मुरब्बा नं. 28 के 1.694 है. प.नं. 228/277 के मुरब्बा नं. 41 के 0.506 है. प.नंकृ228/278 के मु.नं. 42 के 1.771 है. प. नं. 243/278 के मु.नं. 57 के 1.012 है., प.नं. 229/280 के मु.नं. 70 के 1.265 है. कुल 6.248 है. भूमि वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम संयुक्त खाता में है। कि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी के अनुसार चक 82 आरबी के मु.नं. 41 के 0.506 है. व मुरब्बा नं. 42 के 1.771 है. भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम से दर्ज हो चुकी है मु.नं. 28 के 1.518 है. भूमि प्रतिवादी नं. 4 के नाम से दर्ज हो चुकी है। मुरब्बा नं. 28 के 0.176 है. मुरब्बा नं. 57 के 1.138 है. भूमि प्रतिवादी नं. 8 केना से दर्ज हो चुकी है। इस भूमि में से प्रतिवादी नं. 8 ने प्रतिवादी नं. 7 के पक्ष में मु.नं. 57 के 1.012 है. भूमि करवा दी है। व मु.नं. 28 के 1.518 है. भूमि भी प्र[illegible] 8 ने करवा दी है। इस प्रकार मुरब्बा नं. 70 के 1.265 है. भूमि वादी[illegible]वादीगण संख्या 1 ता 7 के नाम से संयुक्त खाता में रह गई है। [illegible] 82 आ[illegible] के प[illegible]29/280 के मुरब्बा नं. 70 के प्रतिवादी सं. 5 व 6 का 0.253 है. प्रतिवादी नं. [illegible]का 0.253 है. वादीया व प्रतिवादी नं. 4 को 0.506 है. प्रति[illegible] 0.253 [illegible] जमाबंदी में अंकित है। यह भूमि मुश्तरका खाता में होने[illegible] आपस में हर सयम भूमि को काश्त करने पानी की पर्ची लेने, मामला अदा क[illegible] समय, खाता की

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

सिचाई भराई करने व खाला साफ करने मे हर सयम लडाई झगडा उत्पन्न होते रहते है। बाहमी बंटवारा में मुझ वादी के हिस्सा में चक 82 आरबी की मुरब्बा नं. 70 के कि.न 3 मे 0.253 है. भूमि कब्जा काश्त में है उस पर में ही काबिज हूँ। मेने मेरी भूमि को समतल कर खाद डाल कर उपजाउ बना दिया है इसलिए अन्य प्रतिवादीगण की नजर मेरी भूमि पर है और मे औरत जा हूँ मेरे साथ अन्य प्रतिवादीगण हर समय लडाई झगडा करते रहते है। इसलिए भूमि का विभाजन करवाना जरूरी हो गया है। मेने दिनांक 18 09.20214 को व मुकाम 82 आरबी में प्रतिवादीगण को किलेवाईज विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया बस यही तारीख बिनाय मुखासमत है बिनाय दावा वादीया को जमाबन्दी में नाम आने के रोज से प्राप्त है। विवादित भूमि श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थिति है। इसलिए वाद वादीया श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार मे है। समस्त भूमि का मालिक राजस्थान सरकार होने के कारण तहसीलदार रायसिंहनगर को पक्षकार बनाया गया है । दावा पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र वादीया पेश करके अर्ज है कि न्यायहित मे वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे। कि चक 82 आरबी के प.नं. 229/280 के मुरब्बा नं.70 के कि.नं. 3 के 0.253 है. भूमि किलेवाईज विभाजन कर वादीया का खाता अलग से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने का आदेश श्रीमान् तहसीलदार रायसिंहनगर को दिया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि मु.नं. 70 के कि.नं. 3 की 0.253 है. भूमि पर कब्जा वादीया का नहीं है वादी गलत ब्यान कर रही है मु.नं. 70 के कि.नं. 3 पर हम प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 का अपने हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है तथा हम प्रतिवादीगण ने अपने फसल काश्त कर रखी है। वादीया अपने दावा को बल देने के लिए झूठे कथन ब्यान कर रही है जबकि वादिया का कि.नं. 3 को अपने नाम करवाने की लालसा में मिथ्या कथन कह रही है जबकि वादिया राजनैतिक प्रभाव रखती है जो पूर्व मण्डी समिति रायसिंहनगर की उपाध्यक्ष थी अपनी राजनैतिक प्रभाव की वजह से उपरोक्त भूमि को अपने नाम लगवाना चाहती है। चूंकि यह बीघा गांव के साथ चिपता है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि मु.नं. 70 का कि.नं. 3 पर कब्जा वादिया का नही होने से वाद वादिया खारिज किया जावे अगर न्यायालय ऐसा करना उचित ना समझे तो भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी कमजोर से कमजोर अनुसार भूमि का विभाजन किया जावे। जनाब की अति कृपा होगी। राजस्थान सरकार की तरफ से राजपैरोकार नायब तहसीलदार समेजा कोठी ने जवाब दावा पेश कर अंकित किया है कि उक्त प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद का है जिससे राज्य सरकार की भू धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। व कोई अनुतोष राज्य सरकार के विरूद्व नहीं चाहा है इसमें कोई राजकीय हित निहित नहीं है। जवाब दावा शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि वाके चक 82 आरबी संवत 2068– 2071 खाता संख्या 50/44 में स संयुक्त खाता में मु.नं. 28,41,42,57,70 की कुल 6.248 है. नहरी खातेदारी भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण [illegible] है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण [illegible] गण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स [illegible] अलग–अलग किया जावे। तहसीलदार राय[illegible] को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना [illegible] नक्शा प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया। तहसील[illegible] न्यायालय के पत्र क्रमांक: रीडर/2024/417 दिनांक 03.05.2024 के संदर्भ मे अपने पत्र क्रमांक:

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 15:03:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

भू–अ / 2024 / 3242 दिनांक 16.07.2024 द्वारा चक 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 229 / 280 के मु.नं. 70 के कि.नं. 2 ता 5 व 9 की 1.265 है. नहरी खातेदारी भूमि का विभाजन प्रस्ताव मौका रिपार्ट, नजरिया नक्शा मय जमाबंदी निम्नानुसार प्रस्तुत किया।

1 शान्तिदेवी पत्नी बलराम जाति जाट रहन एचडीएफसी चक 82 आरबी पं.नं. 229 / 280 मु.नं. 70 के कि.नं. 3 / 0.253 है. भूमि।

2 इन्द्रसेन पुत्र धनराज हि. 84 / 1.265 रहन एसबीआई बैंक रायसिंहनगर, कैलाश पुत्र धनराज हि. 17 / .253, महावीरप्रसाद पुत्र धनराज हि. 84 / 1265है. रहन एसबीआई बैंक रायसिंहनगर, मोहितकुमार पुत्र दयाराम हि. 2 / 5 रहन एस.बी.बी. जे. बैंक गजसिंहपुर, राजेशकुमार पुत्र नरपत हि. 126 / 1265, रामकुमार पुत्र नरपत हि. 127 / 1265 जाति जाट देह खातेदार भूमि के पं.नं. 229 / 280 मु.नं. 70 के कि.नं. 2 / .253 है. 4–5 में 0.506 है., 9 / .253 है. कुल 1.012 है. नहरी भूमि।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादिया का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने विभाजन प्रस्ताव पर अपन विरोध प्रकट किया। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादिया का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

5. **–:आदेश:–**

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 82 आरबी तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 229 / 280 के मु.नं. 70 के कि.नं. 2 ता 5 व 9 की 1.265 है. नहरी भूमि में से वादी के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:–

1. शान्तिदेवी पत्नी बलराम जाति जाट रहन एचडीएफसी चक 82 आरबी पं.नं. 229 / 280 मु.नं. 70 के कि.नं. 3 / 0.253 है. भूमि।
2. इन्द्रसेन पुत्र धनराज हि. 84 / 1.265 रहन एसबीआई बैंक रायसिंहनगर, कैलाश पुत्र धनराज हि. 17 / .253, महावीरप्रसाद पुत्र धनराज हि. 84 / 1265है. रहन एसबीआई बैंक रायसिंहनगर, मोहितकुमार पुत्र दयाराम हि. 2 / 5 रहन एस.बी.बी. जे. बैंक गजसिंहपुर, राजेशकुमार पुत्र नरपत हि. 126 / 1265, रामकुमार पुत्र नरपत हि. 127 / 1265 जाति जाट देह खातेदार भूमि के पं.नं. 229 / 280 मु.नं. 70 के कि.नं. 2 / .253 है. 4–5 में 0.506 है., 9 / .253 है. कुल 1.012 है. नहरी भूमि।

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्व किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर / लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

र्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.25 16:03:07 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner